राजस्थान सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 25 (सी.ए.सी.)लेखा/आकाशि/2009–10/ दिनांक

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
....

सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय
अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर

विषय :– प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) राज. जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना बाबत।

महोदय,

आपके महाविद्यालय के लेखो पर प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर के जाँच दल द्वारा जाँच कर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाते है जिनकी अनुपालना एक माह में सीधे ही प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर को भिजवाई जानी होती है। इन प्रतिवेदनों के उन आक्षेपों की अनुपालना इस कार्यालय को भिजवाई जानी होती है जिन पर जाँच दल ने निदेशक कॉलेज शिक्षा अथवा राज्य सरकार की टिप्पणी सहित अनुपालना की अपेक्षा की होती है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अवधि 2010–11 के पैरा में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर के बकाया प्रतिवेदनों/आक्षेपों की पालना नहीं होने की स्थिति को गम्भीरता से लिया गया है एवं आगामी जनलेखा समिति की बैठक में इस प्रकरण में विभाग का साक्ष्य लिया जाना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधान महालेखाकार के प्रतिवेदनो/आक्षेपों की अनुपालना 7 दिवस में सीधे ही प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा

परीक्षा) राज. जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करावे एवं केवल उन्ही आक्षेपों की अनुपालना इस कार्यालय में भिजवावे जिनमें महालेखाकार के जॉच दलों ने निदेशक कॉलेज शिक्षा अथवा प्रमुख शासन सचिव की टिप्पणी चाही है। साथ ही 10 दिवस के अन्दर बकाया प्रतिवेदनो/आक्षेपों के विवरण एवं इनके सन्दर्भ में भेजी गई अनुपालना के विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावे।

भवदीय

स/-
वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 25 (सी.ए.सी.)लेखा/आकाशि/2009-10/1048 दिनांक 13-3-15

प्रतिलिपि :- निदेशालय के विभिन्न प्रभारी अधिकारीयों को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अनुभाग से सम्बन्धित बकाया आक्षेपों की अनुपालना 7 दिवस में लेखा शाखा को भिजवाने की कार्यवाही सम्पन्न करावे ताकि इन्हे निरस्त कराने की कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में आपसे सम्बन्धित बकाया आक्षेपों की प्रतिया आपको पहले ही भिजवाई जा चूंकि है :-

1. निदेशक अकादमिक
2. संयुक्त निदेशक (आयोजना)/छात्रवृति/प्रशासन/अनुदान)
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता को प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र को वेबसाईड पर अपलोड करे।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

E:\accounts vibhag\Vinod sharma\letter.doc